COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

District & Addl. Sessions Judge-I-Cum-Special Judge Sc& St. Act, Jamui.

A.B.P. No. 379/2026

SC/ST case no. 40/2024

Jay Ram Yadav & others Vs. State of Bihar

आदेश

16.04.2026 एस0सी0/एस0टी0 कांड सं0–40/2024 जो परिवाद पत्र संख्या 89सी/2022 से जनित है तथा जो भा0द0वि0 की धारा 323, 354, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा–3(i)(r)(s), 3(2)(va) से संबंधित है, के आवेदक अभियुक्तगण **1. जयराम यादव,** उम्र करीब 50 वर्ष, पिता–राजू यादव, **2. शिवजी यादव,** उम्र करीब 46 वर्ष, पिता–राजू यादव, **3. नीरज यादव उर्फ नीरज कुमार,** उम्र 23 वर्ष पिता–जयराम यादव, सभी निवासी ग्राम–खीरभोजना, थाना–लक्ष्मीपुर, जिला–जमुई, **4. प्रभन यादव,** उम्र 64 वर्ष पिता–स्व0 गोपी यादव, **5. विजय यादव,** उम्र 34 वर्ष पिता–प्रभन यादव, **6. अरूण यादव,** उम्र 27 वर्ष पिता–प्रभन यादव, सभी निवासी ग्राम–नजारी, थाना–लक्ष्मीपुर, जिला–जमुई, **7. दीपक कुमार** उम्र 44 वर्ष पिता–बनारसी यादव, निवासी ग्राम–बनौली, थाना–राजाडीह, जिला–मुंगेर की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

परिवाद पत्र के अनुसार अभियोजन कथानक सार रूप से यह है कि दिनांक–07.09.2022 को संध्या 6 बजे परिवादी अरविंद दास अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ अभियुक्त प्रभन यादव के घर के आगे सरकारी चापाकल पर पानी लेने गया जैसे ही पानी ले रहा था कि प्रभन यादव बोला कि **"मादरचोद चमार यहां तुम पानी लेने क्यों आया।"** इस पर वादी बोला कि उसका चापाकल खराब हो गया है, इसलिए पानी लेने आया है। इतना सुनते ही अभियुक्त विजय यादव बोला कि **"साला चमार तुम चापाकल छू दिया, तुम्हारे सारे परिवार को गांव से उजाड़ देंगे।"** परिवादी की पत्नी ने उसका विरोध किया तो सभी अभियुक्तगण वहां पहुंच गये और कहने लगे कि "हम यादव लोग है।" यहां चमार लोग पानी नहीं लेगा। इतना कहने के बाद भी परिवादी की पत्नी राबड़ी देवी बाल्टी में पानी भरने लगी तो अभियुक्त सनोज यादव बोला कि हरमजादी–भोसड़ी चमैनी नहीं मानेगी। इतना कहकर सनोज यादव परिवादी की पत्नी राबड़ी देवी को लप्पड़ थप्पड़ करते हुए उसकी साड़ी खींचकर उसे बेनग्न कर दिया। परिवादी एवं उसकी पत्नी भयवश अपनी इज्जत आवरू बचाने की खातिर अपने घर चला आया। उसके बाद सभी अभियुक्तगण हरवे हथियार से लैश होकर मारपीट एवं लूट–पाट करने हेतु परिवादी के घर में घुस गये और

परिवादी के माता–पिता को भी जाति सूचक शब्द कहते लप्पड़–थप्पड़ किया और सभी मिलकर घर में रखा सामान उसमें एक टीन का बक्सा था जिसमें नया पुराना कपड़ा, नगद 20,000/– रूपया तथा चांदी के कुछ जेवरात लूट लिया। हल्ला पर अगल बगल के लोग दौड़े परंतु अभियुक्तगण काफी दबंग प्रवृति के लोग है, उसका विरोध करने का किसी में हिम्मत नहीं है। लक्ष्मीपुर थाना में केस (Case) करने गई किंतु केस (Case) नहीं लिया तो आज न्यायालय में नालिश दिया।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया है कि आवेदक अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया है कि दिनांक–07.09.2022 को अभियुक्त अनोज यादव ने इस मामले के परिवादी के विरूद्ध लक्ष्मीपुर थाना कांड सं0–300/2022, अंतर्गत धारा–279, 337 भा0द0वि0 एवं 30(ए) बिहार निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2018 के तहत दर्ज कराया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि करूण रविदास उर्फ अरबिंद रविदास ने आवेदककर्ता को अपने वाहन से टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। बाद, में, जब पुलिस शिकायतकर्ता के घर गई और उसके वाहन की तलाशी ली तो उसमें से शराब पाई गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस कारण परिवादी अभियुक्त एवं उसके परिवार के सदस्य को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रहा है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उनका कथन है कि यह मामला आपराधिक परिवाद पर आधारित है तथा इसी न्यायालय ने जांचोपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया है तथा इस अधिनियम की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये अग्रिम जमानत आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है।

मैंने अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला

आपराधिक परिवाद पत्र पर आधारित है। परिवाद पत्र में जांचोपरांत इस न्यायालय ने आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–323, 354, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा–3(i)(r)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया है। **मैं सूचक संहित विद्वान लोक अभियोजक के इस कथन से सहमत हूँ कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये अग्रिम जमानत आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है।** अतः मेरे विचार से मामले में अग्रिम जमानत प्रदान करना विधि अनुरूप नहीं है। अतः अग्रिम जमानत का यह आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः– विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीष, अनुसूचति जाति एवं जनजाति, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।